सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 66 राँची, रविवार, 4 पौष, 1938 (श०)
25 दिसम्बर, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

26 नवम्बर, 2016

कृपया पढ़ें :-

1. कारा निरीक्षणालय, गृह (कारा) विभाग का पत्रांक-2742/जेल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक-1387/जेल, दिनांक 25 मई, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-1957, दिनांक 3 मार्च, 2016 एवं पत्रांक-4016, दिनांक 16 मई, 2016

संख्या-5/आरोप-1-10/2016 का.-9999-- श्री परितोष कुमार ठाकुर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-726/03, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, गिरिडीह, सम्प्रति- भूमि सुधार सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के विरूद्ध गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-102, दिनांक 15 जनवरी, 2016 के माध्यम से कारा निरीक्षणालय, गृह (कारा) विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2742/जेल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 द्वारा आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया । इस आरोप पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के पत्रांक-5100/गो०, दिनांक 2 अगस्त, 2015 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह को उपलब्ध कराये गये जाँच-प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है, जिसके अनुसार दिनांक 30 जुलाई, 2015 को करीब

11:50 बजे कैदियों के बीच मारपीट की घटना घटी । इस दौरान दो मोबाईल भी बरामद हुए । जाँच में यह बात प्रकाश में आई कि कैदियों के बीच बंदी सचिन यादव के समर्थक एवं विरोधियों का दो गुट है। सचिन यादव को सेल में डालने के निर्णय से जेल में पदस्थापित कर्मी भी दो गुट में बंट गये हैं।

उक्त घटना के संबंध में कारा निरीक्षणालय, गृह (कारा) विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2110, 2123, दिनांक 20 अगस्त, 2015 एवं पत्रांक-2524, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 द्वारा श्री परितोष कुमार ठाकुर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री ठाकुर के पत्रांक-1991, दिनांक 13 अगस्त, 2015 एवं पत्रांक-249, दिनांक 10 अक्टूबर, 2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि अधीक्षक, मंडल कारा, गिरिडीह के कर्तव्य निर्वहन करते हुए कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह, उपायुक्त, गिरिडीह के आदेशानुसार जिले के विधि कोषांग कर प्रभारी पदाधिकारी एवं जन शिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी तथा तिसरी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के पद का दायित्व भी निभा रहे थे, नियमित रूप से मंडल कारा, गिरिडीह भी जाते थे । दिनांक 30 जुलाई, 2015 को घटित घटना की सूचना वरीय पदाधिकारियों को देना उचित नहीं समझा गया । श्री ठाकुर अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को निभाने में विफल रहे । ये अपनी व्यस्तता को दर्शाते हुए अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं । अपने उत्तरदायित्व का निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप निर्वाहन न कर पाने एवं कारा पर नियंत्रण न रख पाने के फलस्वरूप कारा में घटित घटना के लिए ये मुख्य रूप से जिम्मेवार है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय विभागीय पत्रांक-1957, दिनांक 3 मार्च, 2016 द्वारा श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री ठाकुर ने पत्रांक-93, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें निम्न तथ्य दिये गये हैं:-

ये दिनांक 4 मार्च, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित थे । उक्त पदस्थापन अवधि में ये अपने कार्यों के अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह के आदेशानुसार अनुमंडल नजारत उपसमाहर्त्ता तथा सैकेण्ड ऑफिसर के रूप में कार्यपालक दण्डाधिकारी के न्यायालय के प्रभार में थे । इसके अलावा उपायुक्त, गिरिडीह के आदेशानुसार ये प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि कोषांग, जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, रिफन्ड डिप्टी कलेक्टर तथा कारा अधीक्षक, मंडल कारा, गिरिडीह के अतिरिक्त प्रभार में थे । इसके अलावा रजिस्ट्रार जेनरल, माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के ज्ञापांक-381-385, दिनांक 10 जनवरी, 2015 द्वारा विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में भी इनकी प्रतिनियुक्ति की गयी थी । उपायुक्त द्वारा इन्हें गिरिडीह जिला मुख्यालय से दूर प्रखण्ड तिसरी का वरीय प्रभारी बनाया था । इन सभी प्रभारों के बावजूद भी ये गिरिडीह समाहरणालय से लगभग छः कि०मी० दूर मंडल कारा, गिरिडीह में नियमित रूप से जाकर कारा अधीक्षक के कार्यों का निष्पादन तथा जेल कर्मी तथा बंदियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते थे ।

दिनांक 30 जुलाई, 2014 को पूर्वाह्न 11:30 बजे कैदियों के मार-पीट की घटना के समय भी ये कारा के अन्दर महिला वार्ड का निरीक्षण कारापाल के साथ कर रहे थे । घटना की सूचना मिलते ही ये तुरंत घटना स्थल पर पहुँच गये और अपने अधीनस्थ कारापाल, सहायक कारापाल तथा कक्षपालों के सहयोग से स्थिति को नियंत्रित किया गया । प्राप्त मोबाईल तथा कैदियों से प्राप्त आवेदन की जाँच कारापाल तथा सहायक कारापाल से करायी । जाँच के दौरान ये लगातार कारा में स्वयं उपस्थित रहे तथा जाँचोपरांत कारापाल श्री सुभाष चन्द्र ठाकुर एवं सहायक कारापाल श्री सुरेश प्रसाद यादव की अनुशंसा पर मोबाईल के लिए दोषी बंदी सचिन यादव को सेल में डालने का आदेश दिया गया । ये तब तक कारा परिसर में रहे जब तक कारापाल एवं सहायक कारापाल द्वारा स्थिति को सामान्य नहीं बताया गया । इन्होंने कारापाल को जब्त किये गये दोनों मोबाईल को थाना प्रभारी (मु०) को सौंप कर उनसे कॉल डिटेल निकालने हेतु निर्देश दिया । इन सभी कार्यों से निपटने के बाद ये जिला समाहरणालय लौटे तथा उपायुक्त, गिरिडीह को घटना की जानकारी दी । उपायुक्त द्वारा इन्हें पुलिस उपाधीक्षक (मु०) द्वितीय गिरिडीह श्री शम्भु कुमार सिंह के साथ पूरे घटनाक्रम की संयुक्त जाँच कर गुटबाजी तथा मार-पीट में शामिल बंदियों एवं कुख्यात नक्सलियों को अन्य कारा में स्थानांतरण हेतु सूची के साथ प्रतिवेदन देने का आदेश दिया गया । इस पूरे घटना क्रम में इनसे कारा महानिरीक्षक को इसकी तुरंत जानकारी नहीं देने की भूल हुई, जिसके लिए ये अपने पूर्व के दिनांक 13 अगस्त, 2015 को श्री तुसार रंजन गुप्ता, सहायक कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के घटना की जाँच के क्रम में दिये गये लिखित बयान दिनांक 10 अक्टूबर, 2015 को दिये गये स्पष्टीकरण में भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं करने के साथ भूल स्वीकार कर चुके हैं । इनका यह भी कहना है कि इसके पूर्व कारा में मोबाईल पकड़े जाने पर इनके द्वारा कारा महानिरीक्षक को तत्काल इसकी सूचना दी गयी थी तथा उनसे प्राप्त आदेशों का अनुपालन किया गया ।

उपायुक्त, गिरिडीह के आदेशोपरांत ये दिनांक 1 अगस्त, 2015 को पूर्वाह्न में पुलिस उपाधीक्षक (मु०) द्वितीय श्री शम्भु कुमार सिंह के साथ मंडल कारा, गिरिडीह जाकर कारापाल सुभाष चन्द्र ठाकुर, सहायक कारापाल श्री सुरेश प्रसाद यादव, उच्च कक्षपाल श्री अंजुलुश डुंगडुंग अन्य कक्षपालों तथा कारा के बंदियों की उपस्थिति में दिनांक 30 जुलाई, 2015 को घटना की जाँच की गयी तथा हार्ड कोर नक्सलियों तथा कारा के अंदर षड्यंत्र तथा गुटबाजी करने वाले बंदियों के केन्द्रीय कारा में स्थानांतरण हेतु गोपनीय ढंग से सूची तैयार किया तथा पत्रांक-1702, दिनांक 1 अगस्त, 2015 द्वारा संयुक्त रूप से इसे उपायुक्त, गिरिडीह को समर्पित किया । पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के आदेश पर दिनांक

2 अगस्त, 2015 को पूर्वाह्न में थाना प्रभारी (मु०), गिरिडीह द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2015 को घटना की जाँच की गयी तथा प्रतिवेदन ज्ञापांक-1780/2015, दिनांक 2 अगस्त, 2015 द्वारा पुलिस अधीक्षक,

गिरिडीह को समर्पित किया गया । इस जाँच प्रतिवेदन में भी इनके द्वारा सहायक कारापाल, कारापाल की अनुशंसा पर बंदी सचिन यादव को सेल में डालने की आदेश का उल्लेख किया गया । इस प्रतिवेदन के आलोक में पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह द्वारा अपने पत्रांक-5100, दिनांक 2 अगस्त, 2015 द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2015 को मारपीट की घटना के लिए जिम्मेवार बंदियों को सुरक्षा की दृष्टिकोण से किसी दूसरे कारा में स्थानांतरण की आवश्यकता बताई । उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा इनके तथा पुलिस उपाधीक्षक (मु०) द्वितीय से संयुक्त जाँच प्रतिवेदन तथा पुलिस अधीक्षक के पत्र के उपरांत उपायुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक (मु०) द्वितीय तथा इनके साथ इस पूरे घटना क्रम तैयार की गयी बंदियों के स्थानांतरण सूची पर बैठक में विस्तारपूर्वक विचार किया गया ।

दिनांक 30 जुलाई, 2015 की घटना के संबंध में कारा महानिरीक्षक के निर्देश पर दिनांक 13 अगस्त, 2015 को श्री तुसार रंजन गुप्ता, सहायक कारा महानिरीक्षक द्वारा मंडल कारा, गिरिडीह में विस्तुत जाँच की गयी । जाँच प्रतिवेदन में घटना के संबंध में इनकी भूमिका पर यह स्पष्ट अंकित किया गया कि "हल्ला होने पर महिला वार्ड में उपस्थित यानी मैं, कारापाल, सहायक कारापाल एवं प्रभारी उच्च कक्षपाल घटना स्थल पर पहुँचे तथा स्थिति को शांत कराया गया तथा उग्र बंदियों को कार्यालय मे बुलाकर समझाया गया तथा जब्त की गई मोबाईल को आवश्यक क्रियार्थ थाना प्रभारी, गिरिडीह (मु0) को प्राप्त करवा दिया। बंदियों के आवेदन पर अधीक्षक मंडल कारा, गिरिडीह यानि मेरे द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2015 को सेल में रखने का आदेश दिया गया । अपने प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं मंतव्य में उन्होंने मेरे अन्य विभागों के प्रभार में रहने के कारण कम ध्यान दे पाने की बात कही है। लेकिन मामूली चोट के कारण बंदी सचिव यादव को लगभग 15 दिनों से अस्पताल में रखने से कारा के अधीनस्थ पदाधिारियों एवं कर्मियों को बंदी के सहायता करने का दोषी पाया गया । उन्होंने अपने प्रतिवेदन में इस घटना में कारा अधीक्षक के रूप में मेरी लेशमात्र भी संलिप्तता की बात नहीं की है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की है । जाँच के क्रम में उनके द्वारा कारा कर्मियों एवं बंदियों से लिये गसे बयानों में किसी के भी द्वारा मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है तथा न ही कारा अधीक्षके में रूप में मेरे कार्यकलाप पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है।"

इस संबंध में लगभग 08 महीने कारा अधीक्षक के रूप में कार्य के दौरान हुए अनुभवों से श्री ठाकुर ने पाया कि मंडल कारा, गिरिडीह में दिनांक 13 जून, 2015 को सहायक कारापाल के रूप में श्री सुरेश प्रसाद यादव के योगदान के उपरांत शुरू से उनके वरीय पदाधिकारी तथा पूर्व से कार्यरत कारापाल श्री सुभाष चन्द्र ठाकुर के साथ सामंजस्य तथा आपसी सहयोग का अभाव था । ये दोनों पदाधिकारी कभी भी एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए तत्पर रहते थे। इन्होंने कई बार इन दोनों पदाधिकारियों को (कारापाल एवं सहयाक कारापाल) को आपसी सहयोग तथा सोहार्द्धपूर्ण ढंग से काम करने का निदेश दिया तथा यह भी समझाया कि मंडल कारा गिरिडीह एक अत्यंत ही संवेदनशील कारा

है। यहाँ कुख्यात आपराधियों के साथ कट्टर नक्सली बंदियों को रखा गया है । अतः यहाँ आपसी सहयोग तथा सामंजस्य से कार्य करने की आवश्यकता है । श्री ठाकुर अधिक प्रभारों के बाद भी नियमित कारा जाकर एक-दो घंटे व्यतीत करता थे । ये दोनों पदाधिकारी (कारापाल एवं सहायक कारापाल) कारा के अन्दर चल रहे मोबाईल आदि के लिए एक दूसरे को इनके सामने दोषी बताते थे। इन विपरीत परिस्थितियों में भी इनके द्वारा कारा अधीक्षक के रूप में अपने कार्यकाल में कारा के अन्दर तथा बाहर किसी बड़ी घटना को नहीं होने दिया गया ।

इनका यह भी कहना है कि दिनांक 30 जुलाई, 2015 को मंडल कारा में कैदियों के बीच मार-पीट की घटना पर त्वरित कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित किया तथा उपायुक्त, गिरिडीह को तुरंत घटना से अवगत कराया। उपायुक्त, गिरिडीह के आदेशानुसार पुलिस उपाधीक्षक, गिरिडीह (मु०) द्वितीय के साथ दिनांक 1 अगस्त, 2015 को घटना की संयुक्त जाँच की तथा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त को सौंपा । घटना के उपरांत भी स्थिति पर इनके द्वारा बराबर नजर रखकर मंडल कारा के अन्दर शांति स्थापित किया । दिनांक 13 अगस्त, 2015 को सहायक कारा महानिरीक्षक, श्री तुसार रंजन गुप्ता द्वारा घटना की जाँच के उपरांत दिये गये कारा महानिरीक्षक के प्रतिवेदन में किसी भी रूप में इन्हें दोषी नहीं माना गया है बल्कि इनके अधीनस्थ कार्यरत कारापाल, सहायक कारापाल तथा कक्षपालों को दोषी माना गया है । इस घटना के उपरांत भी दिनांक 17 अगस्त, 2015 को सहायक कारापाल से प्राप्त प्रतिवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कारापाल को रात्रि गश्ती सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ।

श्री ठाकुर से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4016, दिनांक 16 मई, 2016 द्वारा कारा महानिरीक्षक, कारा निरीक्षणालय, गृह (कारा) विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। कारा निरीक्षणालय, गृह (कारा) विभाग के पत्रांक-1387/जेल, दिनांक 25 मई, 2016 द्वारा श्री ठाकुर के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि-

"दिनांक 30 जुलाई, 2015 को मंडल कारा, गिरिडीह में घटित घटना के संबंध में श्री ठाकुर पर लगाये गये कतिपय आरोपों के संबंध में उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में जिला समाहरणालय में अन्य प्रभार का उल्लेख किया गया है । दिनांक 30 जुलाई, 2015 को घटित घटना की सूचना इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों को देना उचित नहीं समझा गया । श्री ठाकुर अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को निभाने में विफल रहे तथा अपनी व्यस्तता को दर्शाते हुए अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। काराधीक्षक का कार्य अन्य किसी भी कार्य/प्रभार से कम महत्वपूर्ण नहीं है ।

श्री ठाकुर द्वारा श्री तुषार रंजन गुप्ता, सहायक कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए दोषी बंदी सचिन यादव को मामूली चोट रहने के बावजूद

15 दिनों तक कारा अस्पताल में रखा गया, जो गंभीर विषय है, क्योंकि उक्त बंदी को तत्काल प्रकोष्ठ में संसीमित किया जाना चाहिए था । कारापाल एवं सहायक कारापाल के बीच सामंजस्य नहीं होना गंभीर अनुशासनहीनता का द्योतक है । श्री ठाकुर द्वारा कभी भी इसकी जानकारी कारा महानिरीक्षक को अनुशासनिक कार्रवाई के निमित नहीं दी गई । कारा पर नियंत्रण न रख पाने के फलस्वरूप कारा में घटित घटना के लिए मुख्य रूप से श्री ठाकुर जिम्मेवार हैं । यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं एक अयोग्य पदाधिकारी होने का परिचायक है।"

आरोपित पदाधिकारी श्री ठाकुर के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं कारा निरीक्षणालय, गृह (कारा) विभाग के मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30 जुलाई, 2015 की घटना की तुरंत जानकारी उसी दिन उपायुक्त, गिरिडीह को दी गई लेकिन इसकी सूचना लिखित रूप से कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड को नहीं दी जा सकी, भले इसमें श्री ठाकुर की कोई गलत मंशा परिलक्षित नहीं होती है फिर भी काराधीक्षक, मंडल कारा, गिरिडीह के प्रभार में रहने के कारण बड़ी घटना की जानकारी विभाग के वरीय पदाधिकारी को दी जानी चाहिए थी । इससे श्री ठाकुर की कार्य विफलता साबित होती है । चूँकि इस आरोपा को स्वयं श्री ठाकुर द्वारा स्वीकार किया गया है, इसलिए घटना की जानकारी कारा महानिरीक्षक को नहीं देने का आरोप प्रमाणित होता है ।

समीक्षोपरांत, प्रमाणित आरोपों हेतु **श्री ठाकुर को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत् निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 66--50